भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1662

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 13 फरवरी, 2023

24 माघ 1944 (शक)

राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर के रुप में घोषित किया जाना

1662. **श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक**:

श्री बिद्युत बरन महतो :

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ता :

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

श्री प्रताप राव जाधव :

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विलंबके क्या कारण है;

(ग) राम सेतु को कब तक राष्ट्रीय विरासत घोषित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या नासा ने भी राम सेतु के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्षके दौरान कितने विरासत स्थलों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है;और

(च) सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ) : यह मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है,अतः न्यायाधीन है ।

(ङ): पिछले तीन वर्षों के दौरान सूर्य मंदिर, कोणार्क (ओडिशा) और बीबी का मकबरा, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के तिरसठ संरचनाओं को हटाया गया है ।

(च): किसी स्मारक /स्थल पर अतिक्रमण की रिपोर्ट होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है । उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए चूककर्ता को कारण वताओ नोटिस जारी किया जाता है और यदि इसे हटाया नहीं जाता है तो उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया जाता है।

*****